

(1)

## औरंगाबाद छावनी

### AURANGABAD CANTONMENT

वर्ष 2025-2028 के लिए सम्पत्तियों का त्रैवार्षिक कर निर्धारण हेतु छावनी अधिनियम, 2006 धारा 116 के अधिन दिया गया जानकारी प्रपत्र |

INFORMATION PROFORMA FOR TRIENNIAL ASSESSMENT OF PROPERTIES FOR THE YEAR 2025-2028 GIVEN UNDER SECTION 116 OF THE CANTONMENTS ACT, 2006.

1. पत्ता /ADDRESS : \_\_\_\_\_
2. संपत्ति /दुकान /सोसाईटी का नाम (अगर कोई है) : \_\_\_\_\_  
NAME OF PROPERTY /SHOP/SOCIETY (IF ANY) \_\_\_\_\_
3. मालिकों /कब्जेदारों के नाम /NAME OF OWNERS, HORs etc.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. जमीन तथा इमारत की अंदाजन किंमत – रु.  
APPROX. COST OF LANDS & BUILDING :- Rs.  
\_\_\_\_\_
5. निर्माण कार्य. ब्यौरा : आर. सी.सी / लोड बियरिंग /शेड /अन्य \_\_\_\_\_  
DESCRIPTION OF CONSTRUCTION: R.C.C./LOAD BEARING/SHED/OTHER.
6. ऐसे मकान /इमारत जिनका अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है , तो निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करें :-  
IN CASE OF SUCH CONSTRUCTIONS WHICH HAVE NOT BEEN ASSESSED TILL DATE.  
PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:-  
i) अद्यतन जी.एल. आर /LATEST G.L.R ABSTRACT  
ii) अधिकृत या अनधिकृत : \_\_\_\_\_  
WHETHER AUTHORISED OR UNAUTHORISED  
iii) स्वीकृत भवन नक्शा की प्रतिलिपि, COPY OF SANCTIONED BUILDING PLAN  
iv) विक्री करार की प्रतिलिपि / COPY OF SALE DEED
7. संपत्ति का विवरण  
DETAILS OF PROPERTY'  
(ख) तल मंजिल : मकान का इस्तेमाल निवासी /वाणिज्य \_\_\_\_\_  
(B) GROUND FLOOR: USE OF HOUSE –RESIDENTIAL/COMMERCIAL \_\_\_\_\_  
(ग) कमरों की संख्या (ख) रसोई घर  
(B) NO. OF ROOMS (B) KITCHEN  
(घ) स्नान गृह (घ) प्रसाधनगृह  
(C) BATHROOM (D) TOILET  
कुल मंजिल का वर्ग फुट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र :  
TOILET BUILT UP AREA OF GROUND FLOOR IN SQ.FT. \_\_\_\_\_

(2)

(ख) पहली मंजिल :

मकान का इस्तेमाल – निवासी

/ वाणिज्य

(B) FIRST FLOOR

USE OF HOUSE

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

(च) कमरों की संख्या

(C) NO.OF ROOMS

(छ) स्नान गृह

(C) BATHROOM

(ख) रसोई घर

(B) KITCHEN

(घ) प्रसाधन गृह

(D) TOILET

कुल मंजिल का वर्ग फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र :

TOTAL BUILT UP AREA OF FIRST FLOOR IN SQ.FT. \_\_\_\_\_

(ग) दूसरी मंजिल :

मकान का इस्तेमाल – निवासी

/ वाणिज्य

(C) SECOND FLOOR;

USE OF HOUSE

RESIDENTIAL/COMMERCIAL

(क) कमरों की संख्या

(D) NO.OF ROOMS

(ज) स्नान गृह

(C) BATHROOM

(ख) रसोई घर

(B) KITCHEN

(घ) प्रसाधन गृह

(D) TOILET

कुल मंजिल का वर्ग फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र :

TOTAL BUILT UP AREA OF SECOND FLOOR IN SQ.FT. \_\_\_\_\_

सभी मंजिलों का वर्ग फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र : ( क + ख + ग ) = \_\_\_\_\_

TOTAL BUILT UP AREA OF ALL FLOOR IN SQ.FT. ( A + B + C ) = \_\_\_\_\_

(झ) बाहरी हाउस OUT HOUSE / गैरेज GARAGE : \_\_\_\_\_

(ञ) स्टोअर रूम STORE ROOM

वर्ग फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र

TOTAL BUILT UP AREA IN SQ.FT. \_\_\_\_\_

अन्य विवरण / OTHER DETAILS

1. सामान्य जानकारी

GENERAL INFORMATION: -

(ग) जल संवर्धन :

है / नहीं

(B) WATER CONNECTION

YES / NO

(घ) बिजली :

है / नहीं

(B) ELECTRIC CONNECTION:

YES / NO

2. मकान का किराया तथा करायेदारों की जानकारी |

RENT BEING CHARGED: TENANT WISE INFORMATION: -

(ग) श्री /श्रीमती \_\_\_\_\_

किराया रु. \_\_\_\_\_

(C) SHRI /SMT

(घ) श्री /श्रीमती \_\_\_\_\_

किराया रु. \_\_\_\_\_

(D) SHRI /SMT

(3)

3. खुली जमीन / प्लॉट :-  
OPEN SPACE / PLOT:-

(ग) जगह का कुल क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ चौ. मी.

C) TOTAL AREA OF LAND \_\_\_\_\_ SQ.MT.

(घ) जमीन का इस्तेमाल

अगर वाणिज्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल होता है , तो मिल रहा किराया रु. \_\_\_\_\_  
मासिक / सालाना .

D) USE OF LAND

IF USED FOR COMMERCIAL PURPOSE, AMOUNT OF RENT RECEIVED Rs. \_\_\_\_\_  
MONTHLY/ YEARLY.

4. संपत्ति के छत / खुली जमीन पर मोबाइल टावर (मनोरा) रु. \_\_\_\_\_  
होने पर उससे प्राप्त किराया मासिक / सालाना

IF MOBILE TOWER IS PLACED ON THE ROOF / OPEN LAND OF THE PROPERTY, THE AMOUNT OF RENT RECEIVED Rs. \_\_\_\_\_  
MONTHLY/YEARLY

5. संपत्ति का स्थल दर्शक नक्शा:

LOCATION PLAN OF PROPERTY:

उत्तर दिशा दर्शाते हुए N
--------------------------

स्थल / PLACE: \_\_\_\_\_

मालिक / कब्जेदार का नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक / DATE: \_\_\_\_\_

NAME & SIGNATURE OF OWNER/ OCCUPIER

टिप्पणी : १) छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116(1) अनुसार , यदि कोई व्यक्ति निर्देशित अवधि में जानकारी नहीं देता है या जानकारी देने में लापरवाही करता है तथा दी गयी उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है तो धारा 116(2) अनुसार संबंधित व्यक्ति को रुपये 5000/- तक दंड लगाया जा सकता है तथा इस अधिनियम की प्रावधान अनुसार उपरोक्त संपत्ति का करनिर्धारण , जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठिक समझे , किया जायेगा , जो की अंतिम होगा |

NOTE:: (1) As per section 116(1) of the Cantonments Act ,2006, if any person fail to provide information , neglect to furnish information within the period specified in this behalf by the Chief executive Officer or furnishes information, which is not true to the best of his knowledge or behalf, he shall be punishable with fine, which may extend to five thousand rupees and shall be liable to be assessed at such amount on account of tax as the Chief Executive Officer may deem proper, and the assessment so made shall subject to the provisions of the this Act, be final.